



Neutral Citation No.-2026:AHC:40425-DB

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या - 2829/2026

वीरेंद्र सिंह

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 6 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : सतेंद्र कुमार, सुधांशु कुमार सिंह

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या- 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया और अभिलेख का अवलोकन किया गया।

2. वर्तमान रिट याचिका याचिकाकर्ता द्वारा निम्नलिखित अनुतोष हेतु दायर की गई है:-

"(i) थाना एतमादुददौला, जिला आगरा में बी.एन.एस. की धारा 103(1), 238 (ख), 61(2), 115(2), 352, 351(2) के अंतर्गत दिनांक 24.10.2025 की एफ.आई.आर. के अनुसरण में मुकदमा अपराध संख्या 326/2025 में प्रत्यर्थी संख्या 4 से 7 के विरुद्ध वाद में प्रत्यर्थी संख्या 2 और 3 को इस माननीय न्यायालय द्वारा नियत की जाने वाली अल्प निर्धारित अवधि के भीतर निष्पक्ष और उचित विवेचना करने का आदेश देते हुए और निर्देश देते हुए परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए।

(ii) इस माननीय न्यायालय द्वारा वाद के तथ्यों और परिस्थितियों में याचिकाकर्ता के हित की रक्षा करते हुए उचित और यथोचित समझे जाने वाले ऐसे अन्य और अग्रतर रिट, आदेश या निर्देश जारी किए जाएं।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(iii) विवाद करने वाले प्रत्यर्थियों के विरुद्ध रिट याचिका की लागत का आदेश दिया जाए।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता वर्तमान वाद में सूचनाकर्ता है और यद्यपि वर्तमान वाद में एफ.आई.आर. दिनांक 24.10.2025 को पंजीकृत की गई है, तथापि पुलिस वाद की निष्पक्ष और पक्षपात रहित विवेचना नहीं कर रही है।

4. उपरोक्त के दृष्टिगत, याचिकाकर्ता वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आगरा, जिला आगरा के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत कर सकता है जिसमें अपनी शिकायत को उजागर करते हुए निष्पक्ष और पक्षपात रहित विवेचना की मांग की जाए और यदि ऐसा आवेदन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आगरा, जिला आगरा के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आगरा, जिला आगरा/प्रत्यर्थी संख्या 2 वर्तमान वाद में निष्पक्ष, पक्षपात रहित और त्वरित विवेचना सुनिश्चित करेंगे।

5. उपरोक्त आदेश के साथ, वर्तमान याचिका निस्तारित की जाती है।

23 फ़रवरी, 2026

ज़फ़र

(न्यायमूर्ति अचल सचदेव) (न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता)